

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 3925 / 2022


दिनांक : 20.12.2022

श्री अनिल कौशिक (RJ0316), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, प्रतापगढ़ को दिनांक 09.11.2022 से 11.11.2022 तक 03 दिनों का *परावर्तित अवकाश* दिनांक 12.11.2022 से 13.11.2022 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री कौशिक की अनुपस्थिति में विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति (अ.नि.प्रकरण), प्रतापगढ़ ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, प्रतापगढ़ के पद पर ही की गई।

आज्ञा से


रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:-स्था.बी.2(4)/21/2000/8818

दिनांक : 20.12.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, प्रतापगढ़को उनके पत्रांक 65 दिनांक 14.11.2022 के सन्दर्भ में ।
3. श्री अनिल कौशिक (RJ0316), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, प्रतापगढ़ ।
4. विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति (अ.नि.प्रकरण), प्रतापगढ़ ।


सहायक रजिस्ट्रार